P1 R.M.M Law College Saharsa.
Manvendra Mandal | Subject- Contract - II
Part time Lecturer | Part - II

गिरवीरूपी उपनिधान (Bailment of Pledges)

(धारा 172 to 179)

गिरवी (Pledges) → " एक ऐसा उपनिधान है जिसके अन्तर्गत वस्तु का परिदान ऋण के प्रत्याभूति (guarantee) के रूप में किया जाता है।" लेनदार वस्तु को प्राप्त करके उसे सुरक्षित रखता है और वस्तु का अधिकार उसी व्यक्ति में निहित रहता है। गिरवी के रूप में वस्तु या सम्पति देने वाले या उपनिधाता को गिरवीकर्ता या पणयमकार (pawnor) तथा उपनिहिती या कर्ज देने वाले को पणयमदार (pawnee) कहते हैं।

गिरवी का परिभाषा → किसी ऋण के संदाय के लिए या किसी वचन के पालन के लिए security के तौर पर माल का उपनिधान "गिरवी" कहलाता है। लजन प्रसाद बनाम रहमत अली के वाद में उच्चतम न्यायालय ने गिरवी को इस प्रकार परिभाषित किया है — "गिरवी किसी माल का उपनिधान है जो किसी ऋण या संविदा पालन के लिए प्रतिभूति प्रदान करता है।" "A pledge is a bailment of the goods, as security to payment of debt or performance."

गिरवी के आवश्यक तत्व (Essential Ingredients of Pledge)

① गिरवी केवल चल सम्पति की हो सकती है।

② माल का उपनिधान या कब्जा → गिरवी के लिए pawnor द्वारा pawnee को माल का परिदान किया जाना अनिवार्य है। गिरवी में माल का स्वामित्व pawnor के पास रहता है परन्तु उसका कब्जा पणयमदार (Pawnee) के पास होता है। जब तक वस्तु का कब्जा पणयमकार से पणयमदार को हस्तांतरित नहीं हो जाता तब तक वह गिरवी का रूप धारण नहीं कर सकता है अर्थात माल का कब्जा pawnor से pawnee को हस्तांतरित होना आवश्यक है। माल का परिदान वास्तविक या उपलक्षित (constructive) हो सकता है। जब माल का भौतिक कब्जा पणयमकार द्वारा पणयदार को दिया जाता है तो इसे Actual परिदान कहते हैं, किन्तु constructive परिदान में माल अपने स्थान पर ही रहता है, परन्तु कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिसका प्रभाव यह होता है कि माल पणयमदार के कब्जे में आ जाता है या पणयमदार को माल प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

Scanned with CamScanner

P.2 गिरवीरूपी उपनिधान (Bailment of pledges)
यह भी उल्लेखनीय है, किसी माल का बिल्टी देना, रेलवे रसीद का परिदान करना या किसी माल का स्वत्व सम्बन्धी प्रलेख दिया जाना कब्जा दिये जाने के समतुल्य होता है। अर्थात जिस माल के सम्बन्ध में बिल्टी या रेलवे रसीद है उस माल को गिरवी किया जा सकता है। परन्तु लोक-वाहक द्वारा दिये गये बेबिल (way-bill) के परिदान से गिरवी नहीं हो सकती, क्योंकि उसे हक का दस्तावेज नहीं माना जाता है। इस प्रकार माल का परिदान और उसका अस्तित्व (existence) में रहना विधिमान्य गिरवी के लिए आवश्यक है।

एक वाद में एक फिल्म निर्माता ने वितरक से ऋण लिया। फिल्म निर्माता और वितरक के मध्य संविदा हुई कि जैसे ही फिल्म तैयार होगी वह वितरक को गिरवी के रूप में दे दी जायगी। इसे विधिमान्य गिरवी नहीं माना गया, क्योंकि परिदान के लिए माल (फिल्म) अस्तित्व में ही नहीं थी और इस प्रकार माल के परिदान के अभाव में इसे विधिमान्य गिरवी नहीं माना गया।

(3) संविदा के अन्तर्गत होना चाहिए (under a contract)
चूँकि गिरवी में वस्तुओं का परिदान ऋण के अन्तर्गत होता है। इसलिए पक्षकारों के बीच विधिमान्य संविदा गिरवी के लिए आवश्यक है। संविदा में पक्षकारों के बीच इस प्रकार का प्रावधान हो सकता है कि पहले ऋण तब माल दिया जायगा या माल देने के बाद ऋण लिया जायगा। इन दोनों परिस्थितियों में गिरवी मान्य होती है।

(4) ऋण के लिए (for securing debt) → पणयमकार द्वारा वस्तुओं का परिदान ऋण के लिए या प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिया किया जाता है।

(5) प्रतिभूति के रूप में → जब माल का परिदान ऋण के भुगतान के लिए या किसी प्रतिज्ञा के पालन के प्रतिभूति के रूप में होता है तो इसे गिरवी कहते हैं। सामान्यतया जब ऋण का भुगतान कर दिया जाता है तो गिरवीकृत माल पणयमकार (गिरवीकर्ता) को वापस कर दिया जाता है।

(6) ऋण का भुगतान नहीं किये जाने पर pawnee को वस्तु तब तक रखने का अधिकार है जब तक ऋण का भुगतान न कर दिया जाय।

Scanned with CamScanner

गिरवी के पक्षकार → मान्य गिरवी में दो पक्षकार होते हैं -

(1) पण्यमकार (Pawnor) → जिसको गिरवीकर्ता (Pawnor) या उपनिदात (Bailor) भी कहते हैं जो अपनी वस्तु या माल दूसरे पक्षकार (पण्यमदार या गिरवीग्राही) को ऋण के भुगतान या प्रतिज्ञा पालन की प्रतिभूति के तौर पर परिदान करता है।

(2) पण्यमदार → उपनिहिती (Bailee) को पण्यमदार या गिरवीग्राही (Pawnee) कहते हैं जो ऋण देता है और उसके बदले वस्तु को प्रतिभूति के तौर पर स्वीकार करता है और अपने पास सुरक्षित रखता है